BFFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 121 OF 2025

IN THE MATTER OF:

Rakesh Bansal **...Applicant**

Versus

State of Uattar Pradesh & Ors. **...Respondents**

INDEX

S. NO.	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	Response on behalf of the Uttar Pradesh Pollution Control Board, in compliance to the order dated 27.03.2025 passed by the Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench Delhi	1-6
2.	**ANNEXURE-R/1** A true copy of notice dated 19.02.2025	7
3.	**ANNEXURE-R/2** A true copy of the inspection report dated 25.02.2025	8-9
4.	**ANNEXURE-R/3** A true copy of the show cause notice dated 13.05.2025 along with the receiving dated 14.05.2025 of the representative of the said brick	10-11
5.	**ANNEXURE-R/4** A true copy of the inspection report dated 29.05.2025	12-14
6.	**ANNEXURE-R/5** A true copy of the closure order dated 06.06.2025	15
7.	**ANNEXURE-R/6** A true copy of the compliance report dated 19.06.2025	16-17
8.	**ANNEXURE-R/7** A true copy of the online application dated 17.07.2025	18-25

THROUGH

DATE: 28.07.2025
PLACE: NEW DELHI

STHAVI ASTHANA
ADVOCATE FOR UPPCB,
C-9, SECTOR 50, NOIDA,
UTTAR PRADESH-201303
(M): 9711116034
(E): STHAVIASTHANA@GMAIL.COM

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICAION NO 121 OF 2025

NOTARY NOORJAHAN Civil Court Lucknow, (U.P.) Regn-10943/15 GOVT. OF INDIA

NOTARIAL

IN THE MATTER OF:

Rakesh Bansal **...Applicant**

Versus

State of Uttar Pradesh & Ors. **...Respondent(s)**

RESPONSE ON BEHALF OF THE UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, IN COMPLIANCE TO THE ORDER DATED 27.03.2025 PASSED BY THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH DELHI

I, Vimal Kumar, aged about 58 years, S/o Late Mr Shiv Prasad presently posted as the Regional Officer, Uttar Pradesh Pollution Control Board (hereinafter referred to as UPPCB), Bulandshahar, do hereby solemnly affirm and state on oath as under:

1. That in the official capacity mentioned above, I am acquainted with the facts and circumstances of the case and as such I am competent and authorized to swear this affidavit.

NOTARY NOORJAHAN Civil Court Lucknow, (U.P.) Regn-10943/15 GOVT. OF INDIA

2. That by means of the present application the applicant has raised the grievance against the illegal operation of the brick kiln-M/s R. S. Brick Field located at Gata Nos. 516, 517, 518 and 520 in Village Dulhera, Tehsil and Pargana Sikandrabad, District Bulandshahr, Uttar Pradesh.

3. That upon considering the matter, this Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi (hereinafter referred to as Hon'ble Tribunal) vide its order dated 27.03.2025 by issuing the notice has directed the Respondents to file their response/reply by way of an affidavit by impleading the answering respondent as Respondent No.-2 and 3.

4. That it is pertinent to mention here that in pursuance to the order dated 19.04.2024 passed by the Hon'ble Supreme Court of India in Civil Appeal Diary No.-18213/2021, NCR Brick Kiln Association versus CPCB and Ors., an inspection of the brick kilnin question, i.e. M/s R. S. Brick Field located at Gata Nos. 516, 517, 518 and 520 in Village Dulhera, Tehsil and Pargana Sikandrabad, District Bulandshahr, Uttar Pradesh, has been undertaken on 19.02.2025. During the inspection the questioned brick kiln was found operating without obtaining previous consent under the Water (Prevention and Control of Pollution), Act, 1974 and Air (Prevention and Control of Pollution), Act, 1981, as amended, wherefore the UPPCB has issued a notice dated 19.02.2025 against the brick kiln in question with direction to close down the operation with an immediate effect.

A true copy of notice dated 19.02.2025is being annexed herewith as **Annexure-R/1**.

NOTARY NOORJAHAN Civil Court Lucknow (U.P.) Regn-10941/15 GOVT. OF INDIA

5. That it is also worthwhile to mention here that in absence of the reply of notice dated 19.02.2025 issued by the UPPCB, the UPPCB again on 25.02.2025 has carried out an inspection of the brick kiln in question on 25.02.2025, wherein the questioned brick kiln was again found operating in violation of the notice dated 19.02.2025.

A true copy of the inspection report dated 25.02.2025 is being annexed herewith as **Annexure-R/2**.

6. That for regular violations of the direction passed by the Hon'ble Supreme Court of India and non-compliance of the notice dated 19.02.2025, the UPPCB has issued a show cause notice dated 13.05.2025, which is duly served upon the brick kiln question on 14.05.2025.

A true copy of the show cause notice dated 13.05.2025 along with the receiving dated 14.05.2025 of the representative of the said brick is being annexed herewith as **Annexure-R/3**.

NOTARY NOORJAHAN Civil Court Lucknow (U.P.) Regn. 10343/15 GOVT. OF INDIA

7. That the no reply of the show cause notice dated 13.05.2025 has been provided by the brick kiln wherefore the UPPCB has again undertaken an inspection of the site of said brick kiln on 29.05.2025. During the course of inspection, the brick kiln found operation in violation of show cause notice dated

13.05.2025, wherefore, the UPPCB has issued a closure order dated 19.02.2025 along with the imposition of Environmental Compensation (EC) for the period of 19.02.2025 to 29.05.2025 amounting Rs. 6,25,000/- on 06.06.2025.

A true copy of the inspection report dated 29.05.2025 andclosure order dated 06.06.2025 is being annexed herewith as **Annexure-R/4**and **Annexure-R/5**, respectively.

8. That it is further stated that in pursuance to the implement of the closure order, a joint committee has been constituted by the District Magistrate, Bulandshahar vide letter no.-204/OG-268/2025 dated 13.06.2025 comprising Sub-Divisional Magistrate Sikandarabad, Circle Officer Police Sikandarabad, Apar Mukhya Adhikari, Jila Panchayat Bulandshahar, UPPCB, District Mining Officer Bualandshahar and Inspector In-charge Sikandarabad, Bulandshahar.

9. That in compliance to the above the constituted joint committee has closed down the operation of the brick kiln in question on 19.06.2025 by pouring water through fire brigade. The joint committee has also locked the induced draft fan and sealed the same. The key of the lock was handed over by the joint committee to Police Station In-charge Sikandarabad to ensure sealing/closure of the brick kiln in question.

NOTARY NOORJAHAN Civil Court Lucknow (U.P.) Regn- 9943/15 GOVT. OF INDIA

A true copy of the compliance report dated 19.06.2025 is being annexed herewith as **Annexure-R/6**.

10. That the photographs taken during the course of implementation of the closure order dated 06.06.2025, issued by the UPPCB, is attached hereinbelow:

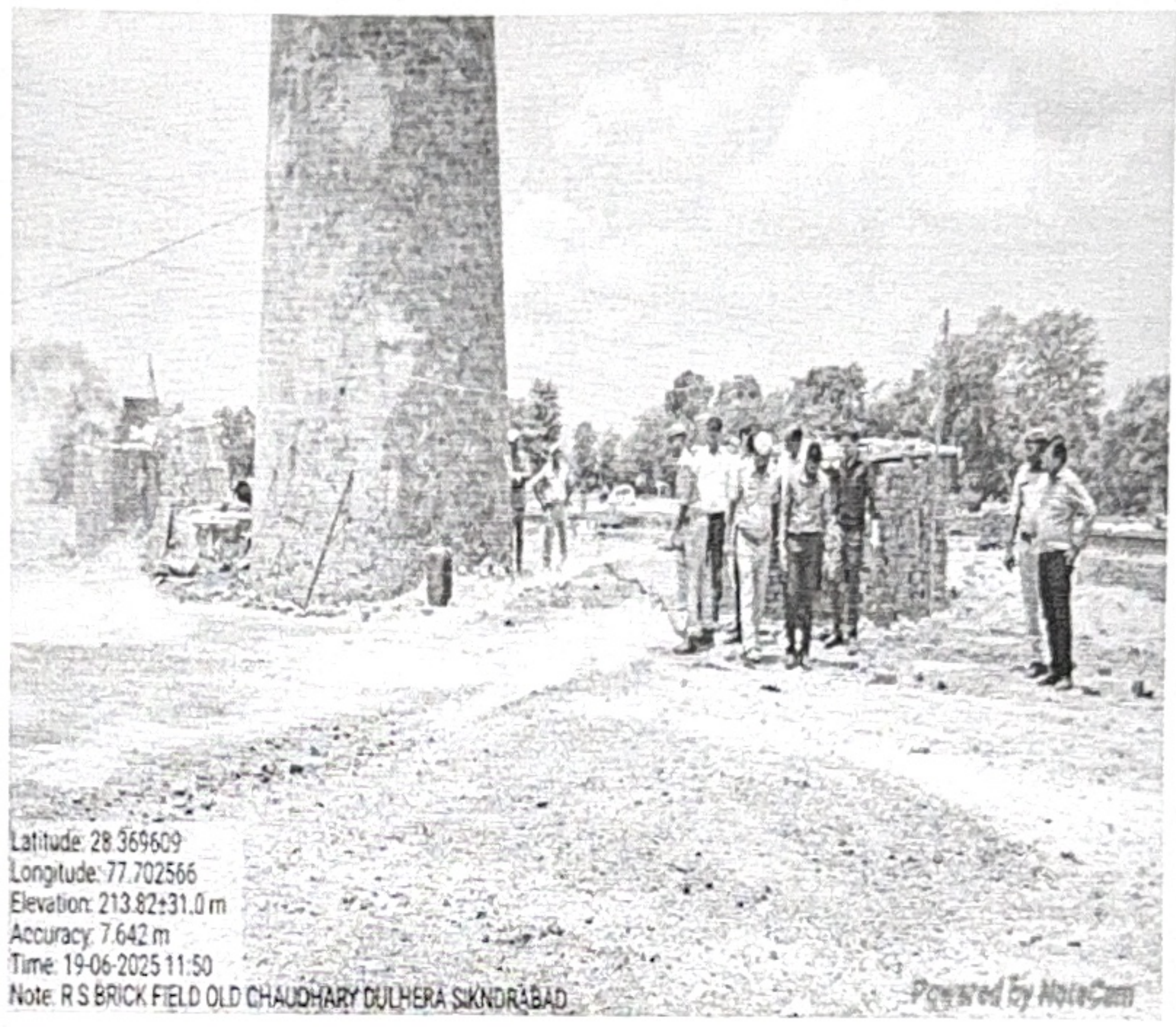

NOTARY
NOORJAHAN
Civil Court
Lucknow, (U.P.)
GOVT OF INDIA

11. That further it is stated that as per the office record, the brick kiln in question has applied for the Consolidated Consent and Authorization on 17.07.2025 through online mode which is under process for want of some documents.

A true copy of the online application dated 17.07.2025 is being annexed herewith as **Annexure-R/7**.

12. That the present response on behalf of the Uttar Pradesh Pollution Control Board is being submitted before this Hon'ble Tribunal for kind perusal and consideration.

DEPONENT

VERIFICATION:

Verified at ……Lko……… on this the 28 day of July, 2025 that the contents of above affidavit are true and correct to my knowledge based on records and information received and believed to be true, no part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

DEPONENT

NOTARY NOORJAHAN Civil Court Lucknow (U.P.) GOVT. OF INDIA

Sworn and Verified before me.

NOORJAHAN Advocate & Notary Civil Court, Lucknow

I know & identify the deponent/Executant who has signed/put his T.L. before me

S. J. Iqbal Advocate Reg No. 8043/1999

क्षेत्रीय कार्यालय
दूरभाष : 05732-......
फैक्स : 05732–233879
ई–मेल : robulandshahar@uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
Uttar Pradesh Pollution Control Board
F-5, यमुनापुरम (MMR मॉल के पीछे), बुलन्दशहर–203001

Annexure-R/1

संदर्भ : 1479/OG-19/25 दिनांक : 19/02/25

सेवा में,
श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा
मै0 स्टार एम एस ब्रिक फील्ड
उदयपुर फिरोजपुर
बुलन्दशहर

विषयः मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील डायरी सं0–10213/2021 एन0सी0आर0 ब्रिक किलन एसोसिएशन बनाम सेन्ट्रल पॉल्यूशन कन्ट्रोल एवं अन्य में दिनांक 19.04.2024 को पारित आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र आच्छादित ईंट भट्ठों के संचालन की अवधि निर्धारित की गई है, जिसके अनुसार ईंट भट्ठों का संचालन 01 मार्च से 30 जून तक मान्य किया गया है। आज दिनांक 19.2.25 को निरीक्षण के दौरान पाया गया कि आप द्वारा ईंट भट्ठे का संचालन राज्य बोर्ड से बिना जल एवं वायु सहमति प्राप्त किये प्रारम्भ कर दिया गया है, जो कि मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों का उल्लंघन है। तत्क्रम में निर्देशित किया जाता है कि तत्काल ईंट भट्ठे का संचालन बन्द करते हुये अपना स्पष्टीकरण इस कार्यालय को अविलम्ब उपलब्ध कराने का कष्ट करें, अन्यथा की दशा में ईंट भट्ठे के विरूद्ध मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अवहेलना के दृष्टिगत सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत की गयी कार्यवाही का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व ईंट भट्ठे के स्वयं का होगा।

भवदीय

(उत्सव शर्मा)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को जिलाधिकारी महोदया द्वारा मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ईंट भट्ठा संचालन के सम्बन्ध में जारी आदेश के अनुपालन में जारी पत्रांक–1475/ओजी–19/2025 दिनांक 19.02.2025 के अनुक्रम में डिफाल्टर ईंट भट्ठे के विरूद्ध अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. उप जिलाधिकारी, सि0-राबाद जनपद बुलन्दशहर।
2. मुख्य अग्निशमन अधिकारी, अग्निशमन विभाग, बुलन्दशहर।
3. क्षेत्राधिकारी पुलिस, सि0-राबाद जनपद बुलन्दशहर।
4. अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, बुलन्दशहर।
5. ज्वाइन्ट कमिशनर, वाणिज्यिक कर विभाग, बुलन्दशहर।
6. जिला खान अधिकारी, बुलन्दशहर।

क्षेत्रीय अधिकारी

Rajendra Prasad Sharma
Dt. 19/2/2025

141

क्षेत्रीय कार्यालय

दूरभाष : 05732–233879
फैक्स : 05732–233879
ई–मेल : robulandshahar@uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
Uttar Pradesh Pollution Control Board
F-5, यमुनापुरम (MMR मॉल के पीछे), बुलन्दशहर–203001

Annexure-R/2

संदर्भ : 1512/BR-20/25 दिनांक : 25/02/25

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–4),
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
लखनऊ।

विषयः– मै0 आर0एस0 ईट उद्योग (पूर्वनाम मै0 चौधरी ब्रिक फील्ड), ग्राम–दुल्हैरा, तहसील–सिकन्दराबाद, जनपद–बुलन्दशहर के विरूद्ध बन्दी आदेश एवं पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक ईट भट्टे का निरीक्षण इस कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक 25.02.2025 को किया गया। निरीक्षण आख्यानुसार निरीक्षण के समय ईट भट्टा संचालित पाया गया। कार्यालय अभिलेखानुसार प्रश्नगत् स्थल पर पूर्व में मै0 चौधरी ब्रिक फील्ड, ग्राम–दुल्हैरा, तहसील–सिकन्दराबाद, जनपद–बुलन्दशहर को राज्य बोर्ड द्वारा पत्रांक:74073/यू0पी0पी0सी0बी0 /बुलन्दशहर (यू0पी0पी0सी0बी0आर0ओ0)/सी0टी0ओ0/वाटर/बुलंदशहर /2019 दिनांक 29.11.2019 के माध्यम से सशर्त सहमति जल एवं पत्रांक:74072 /यू0पी0पी0सी0बी0/बुलन्दशहर (यू0पी0पी0सी0बी0आर0ओ0)/सी0टी0ओ0 /वायु/बुलन्दशहर/2019 दिनांक 29.11.2019 के माध्यम से सशर्त सहमति वायु दिनांक 31.07.2024 तक निर्गत की गयी थी। वर्तमान में ईट भट्टा संचालक द्वारा ईट भट्टे का नाम परिवर्तित कर बिना सहमति जल/वायु प्राप्त किये ईट भट्टे का संचालन कर लिया गया है, जो कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या–309/2022 रामभरोसे बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 एवं अन्य में पारित आदेश 12.02.2024 का भी स्पष्ट उल्लघंन है तथा वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1981 यथासंशोधित में प्रख्यापित प्राविधानों का भी स्पष्ट उल्लघंन है।

संदर्भित ईट भट्टे को पूर्व में भी निरीक्षण दिनांक 19.02.2025 को मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र आच्छादित ईट भट्टो के निर्धारित संचालन अवधि से पूर्व ईट भट्टा संचालित पाये जाने पर इस कार्यालय के पत्र संख्या–1479/ओ0जी0–19/25 दिनांक 19.02.2025 के माध्यम से फुकाई कार्य को तत्काल प्रभाव से बन्द किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था। परन्तु निरीक्षण दिनांक 25.02.2025 को ईट भट्टे में फुकाई का कार्य संचालित पाया गया।

उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत ईट भट्टे के विरूद्व राज्य बोर्ड से संचालनार्थ सहमति (जल/वायु) प्राप्त किये बिना उद्योग का संचालन किये जाने एवं मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में जिलाधिकारी, बुलन्दशहर के पत्रांक:1475/ओ0जी0–19/25 दिनांक 19.02.2025 द्वारा एन0सी0आर0 क्षेत्रान्तर्गत नियत अवधि से पूर्व ईट भट्टे संचालित न किये हेतु जारी आदेशों का उल्लघंन किये जाने के दृष्टिगत उद्योग के विरूद्व वायु प्रदूषण (निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31ए के अन्तर्गत बन्दी आदेश जारी किये जाने एवं पूर्व निरीक्षण दिनांक 19.02.2025 से सुधारात्मक कार्यवाही तक केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा जारी गाइडलाईन में वर्णित सूत्र EC=50x1x500x.5x1.0=12500/- प्रतिदिन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या पत्र के साथ संलग्न कर आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(उत्सव शर्मा)
क्षेत्रीय अधिकारी

मै0 आर0एस0ए0 ईट उद्योग (पूर्वनाम मै0 चौधरी ब्रिक फील्ड), ग्राम–दुल्हैरा, तहसील–सिकन्दराबाद, जनपद–बुलन्दशहर द्वारा मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील डायरी नं0–18213/2021 एन0सी0आर0 ब्रिक क्लिन एसोसिएशन बनाम सेन्ट्रल पॉल्यूशन कन्ट्रोल एवं अन्य के अनुपालन में किये गये औचक निरीक्षण के सम्बन्ध में आख्या।

मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में जिलाधिकारी, बुलन्दशहर के पत्रांक:1475/ओ0जी0–19/25 दिनांक 19.02.2025 द्वारा एन0सी0आर0 क्षेत्रान्तर्गत नियम अवधि से पूर्व ईट भट्टे संचालित न किये जाने के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, बुलन्दशहर के निर्देशानुसार डिस्ट्रिक वेबसाइट पर सूचना व दैनिक समाचार पत्रों में सूचना दिनांक 20.02.2025 प्रकाशित करायी गयी थी। उक्त पारित आदेश के अनुपालन में उपरोक्त ईट भट्टा स्थल (28.369106, 77.702346) का निरीक्षण दिनांक 25.02.2025 को किया गया। निरीक्षण के समय ईट भट्टा प्रतिनिधि के रूप में श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा उपस्थित थे। निरीक्षण के समय ईट भट्टा संचालित पाया गया। निरीक्षण आख्या निम्नवत् हैः–

1. संदर्भित ईट भट्टे से प्राप्त अभिलेखानुसार ईट भट्ठे में मुख्य कच्चे माल के रूप में मिट्टी व पानी का प्रयोग कर ईट की पथाई के उपरान्त भट्ठे में फुकाई कर लगभग–20000 ईट प्रतिदिन उत्पादन किया जाता है।
2. संदर्भित ईट भट्टे में ईधन के जलने से उत्सर्जित उत्सर्जन के निस्तारण हेतु जिग–जैग पद्वति (हाईड्राफ्ट तकनीकी) एवं भूतल से लगभग–30 मीटर ऊँची चिमनी स्थापित है।
3. संदर्भित ईट भट्टे में जल का प्रयोग घरेलू एवं मिट्टी की पथाई में प्रयोग किया जाता है।
4. संदर्भित ईट भट्टे पर श्रोत के अनुश्रवण हेतु प्लेटफार्म, सीढ़ी, पोर्ट होल स्थापित पाये गये।
5. कार्यालय अभिलेखानुसार प्रश्नगत् स्थल पर पूर्व में मै0 चौधरी ब्रिक फील्ड, ग्राम–दुल्हैरा, तहसील–सिकन्दराबाद, जनपद–बुलन्दशहर को राज्य बोर्ड द्वारा पत्रांक:74073/यू0पी0पी0सी0बी0/बुलन्दशहर(यू0पी0पी0सी0बी0आर0ओ0)/सी0टी0ओ0/वाटर/बुलन्दशहर/2019 दिनांक 29.11.2019 के माध्यम से सशर्त सहमति जल एवं पत्रांक:74072/यू0पी0पी0सी0बी0/बुलन्दशहर(यू0पी0पी0सी0बी0आर0ओ0)/सी0टी0ओ0/वायु/बुलन्दशहर/2019 दिनांक 29.11.2019 के माध्यम से सशर्त सहमति वायु दिनांक 31.07.2024 तक निर्गत की गयी थी। वर्तमान में ईट भट्टा संचालक द्वारा ईट भट्टे का नाम परिवर्तित कर बिना सहमति जल/वायु प्राप्त किये ईट भट्टे का संचालन कर लिया गया है, जो कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या–309/2022 रामभरोसे बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 एवं अन्य में पारित आदेश 12.02.2024 का भी स्पष्ट उल्लघंन है तथा वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1981 यथासंशोधित में प्रख्यापित प्राविधानों का भी स्पष्ट उल्लघंन है।
6. अग्रेतर निरीक्षण के समय प्रश्नगत् स्थल पर राजेन्द्र प्रसाद शर्मा द्वारा संचालित मै0 आर0एस0एस0 ब्रिक फील्ड में फुकाई का कार्य संचालित पाया गया।
7. संदर्भित ईट भट्टे को पूर्व में भी निरीक्षण दिनांक 19.02.2025 को मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र आच्छादित ईट भट्टो के निर्धारित संचालन अवधि से पूर्व ईट भट्टा संचालित पाये जाने पर इस कार्यालय के पत्र संख्या–1479/ओ0जी0–19/25 दिनांक 19.02.2025 के माध्यम से फुकाई कार्य को तत्काल प्रभाव से बन्द किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था। परन्तु निरीक्षण दिनांक 25.02.2025 को ईट भट्टे में फुकाई का कार्य संचालित पाया गया।
8. निरीक्षण के समय लिये गये फोटोग्राफ्स संलग्न है।

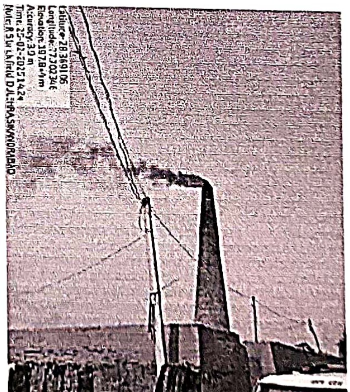

उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत ईट भट्टे के विरूद्व राज्य बोर्ड से संचालनार्थ सहमति (जल/वायु) प्राप्त किये बिना उद्योग का संचालन किये जाने एवं मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में जिलाधिकारी, बुलन्दशहर के पत्रांक:1475/ओ0जी0–19/25 दिनांक 19.02.2025 द्वारा एन0सी0आर0 क्षेत्रान्तर्गत नियत अवधि से पूर्व ईट भट्टे संचालित न किये हेतु जारी आदेशों का उल्लघंन किये जाने के दृष्टिगत उद्योग के विरूद्व वायु प्रदूषण (निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31ए के अन्तर्गत बन्दी आदेश जारी किये जाने एवं पूर्व निरीक्षण दिनांक 19.02.2025 से सुधारात्मक कार्यवाही तक केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा जारी गाइडलाईन में वर्णित सूत्र EC=50x1x500x.5x1.0=12500/- प्रतिदिन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु संस्तुति सहित आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

(रवि रंजन)
अवर अभियन्ता

(एस0पी0 सिंह)
अवर अभियन्ता

वैज्ञा0अधि0/क्षेत्रीय अधिकारी,

Annexure-R/3

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण ब्रोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

पंजीकृत

पत्रांक: H/28142 /सी–4/ईट–1446/का0ब0नो0/2025, दिनांक 13-5-25

मै0 आर0एस0 ईट उद्योग (पूर्वनाम–मै0 चौधरी ब्रिक फील्ड),
ग्राम–दुल्हेरा, तहसील–सिकन्दराबाद,
जनपद–बुलन्दशहर।

मै0 आर0एस0 ईट उद्योग (पूर्वनाम–मै0 चौधरी ब्रिक फील्ड), ग्राम–दुल्हेरा, तहसील–सिकन्दराबाद, जनपद–बुलन्दशहर ईट के उत्पादन कार्य हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित है, जो कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक सयंत्र है।

यह कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में जिलाधिकारी, बुलन्दशहर के पत्रांक–1475 /ओ०जी०–19/25, दिनांक 19.02.2025 द्वारा एन०सी०आर० क्षेत्रान्तर्गत नियम अवधि से पूर्व जिलाधिकारी, बुलन्दशहर के निर्देशानुसार डिस्ट्रिक वेबसाइट पर सूचना व दैनिक समाचार पत्रों में सूचना दिनांक 20.02.2025 प्रकाशित करायी गयी थी। उक्त पारित आदेश के अनुपालन में मै0 आर0एस0 ईट उद्योग (पूर्वनाम–मै0 चौधरी ब्रिक फील्ड), ग्राम–दुल्हेरा, तहसील–सिकन्दराबाद, जनपद–बुलन्दशहर का निरीक्षण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, बुलन्दशहर के अधिकारियों द्वारा दिनांक 25.02.2025 को ईंट भट्ठा प्रतिनिधि श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा की उपस्थिति में किया गया। आख्यानुसार निरीक्षण के समय ईट भट्ठा संचालित पाया गया। प्रश्नगत् स्थल पर पूर्व में मै० चौधरी ब्रिक फील्ड, ग्राम–दुल्हेरा, तहसील–सिकन्दराबाद, राज्य बोर्ड द्वारा द्वारा पत्रांक: 74073, दिनांक 29.11.2019 के माध्यम से सशर्त सहमति जल एवं पत्रांक: 74072 दिनांक 29.11.2019 के माध्यम से सशर्त सहमति वायु दिनांक 31.07.2024 तक निर्गत की गयी थी। वर्तमान में ईट भट्ठा संचालक द्वारा ईट भट्टे का नाम परिवर्तित कर बिना सहमति जल/वायु प्राप्त किये ईट भट्टे का संचालन कर लिया गया है, जो कि मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए० संख्या–309/2022 रामभरोसे बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० एवं अन्य में पारित आदेश 12.02.2024 का भी स्पष्ट उल्लघंन है तथा वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1981 यथासंशोधित में प्रख्यापित प्राविधानों का भी स्पष्ट उल्लघंन है। संदर्भित ईट भट्टे को पूर्व में भी निरीक्षण दिनांक 19.02.2025 को मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र आच्छादित ईट भट्ठो के निर्धारित संचालन अवधि से पूर्व ईट भट्ठा संचालित पाये जाने पर क्षेत्रीय कार्यालय के पत्र संख्या–1479 दिनांक 19.02.2025 के माध्यम से फुकाई कार्य को तत्काल प्रभाव से बन्द किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था, परन्तु निरीक्षण दिनांक 25.02.2025 को ईट भट्टे में फुकाई का कार्य संचालित पाया गया।

उक्त के दृष्टिगत क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बुलन्दशहर के द्वारा पत्रांक–1512/बीआर–20/25, दिनांक 25.02.2025 के माध्यम से प्रेषित आख्या में मै0 आर0एस0 ईट उद्योग (पूर्वनाम–मै0 चौधरी ब्रिक फील्ड), ग्राम–दुल्हेरा, तहसील–सिकन्दराबाद, जनपद–बुलन्दशहर के विरूद्ध राज्य बोर्ड से संचालनार्थ सहमति (जल/वायु) प्राप्त किये बिना उद्योग का संचालन किये जाने एवं मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में जिलाधिकारी, बुलन्दशहर के पत्रांक: 1475/ओ०जी०–19/25 दिनांक 19.02.2025 द्वारा एन०सी०आर० क्षेत्रान्तर्गत नियत अवधि से पूर्व ईट भट्टे संचालित न किये हेतु जारी 1981 यथासंशोधित की धारा 31ए के अन्तर्गत बन्दी आदेश जारी किये जाने एवं पूर्व निरीक्षण दिनांक 19.02.2025 से सुधारात्मक कार्यवाही तक केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा जारी गाइडलाईन में वर्णित सूत्र EC=PIxNxRxSxLF के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

टी.सी.–12वी, विभूति खण्ड
गोमती नगर, लखनऊ–226010
ई–मेल–info@uppcb.com
वेबसाइट–www.uppcb.up.gov.in

T.C.-12V., Vibhuti Khand,
Gomti Nagar, Lucknow-226010
E-mail: info@uppcb.com
Web Site: www.uppcb.up.gov.in

अतः क्षेत्रीय क्षेत्रीय कार्यालय, बुलन्दशहर से प्राप्त आख्या/संस्तुति दिनांक 25.02.2025 के अनुक्रम में मै0 आर0एस0 ईट उद्योग (पूर्वनाम–मै0 चौधरी ब्रिक फील्ड), ग्राम–दुल्हेरा, तहसील–सिकन्दराबाद, जनपद–बुलन्दशहर के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियत्रंण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत निम्नलिखित कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैं :–

1. यह कि क्यों न मै0 आर0एस0 ईट उद्योग (पूर्वनाम–मै0 चौधरी ब्रिक फील्ड), ग्राम–दुल्हेरा, तहसील–सिकन्दराबाद, जनपद–बुलन्दशहर के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द करा दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह मै0 आर0एस0 ईट उद्योग (पूर्वनाम–मै0 चौधरी ब्रिक फील्ड), ग्राम–दुल्हेरा, तहसील–सिकन्दराबाद, जनपद–बुलन्दशहर को मिलने वाली खनन अनुज्ञा तथा लाइसेन्स को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उक्त के अतिरिक्त यह कि क्यों न ईट भट्ठा मै0 आर0एस0 ईट उद्योग (पूर्वनाम–मै0 चौधरी ब्रिक फील्ड), ग्राम–दुल्हेरा, तहसील–सिकन्दराबाद, जनपद–बुलन्दशहर के विरूद्ध केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु जारी गाइडलाइन में वर्णित सूत्र EC=PIxNxRxSxLF के अनुसार रू0 6,250/– की प्रतिदिन की दर से निरीक्षण दिनांक 25.02.2025 से समस्या का समाधान किये जाने तक की अवधि हेतु पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जायें।

उपरोक्त बिन्दुओं पर अपना स्पष्टीकरण 15 दिन के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित करें। निर्धारित अवधि में सन्तोषजनक उत्तर प्राप्त न होने की दशा में उपरोक्त कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उद्योग के जिम्मेदार प्रतिनिधियों का होगा।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–4

प्रतिलिपिः क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियत्रंण बोर्ड, बुलन्दशहर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि संदर्भित ईट भट्ठे को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर निर्धारित समयावधि में ईट भट्ठे की अनुवर्ती निरीक्षण आख्या प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–4

दीपक कुमार शर्मा (मुनीम)
14-5-2025
प्राप्त किया
7409227318

Annexure-R/4

दूरभाष : 05732–233879
क्षेत्रीय कार्यालय फैक्स : 05732–233879
ई–मेल : robulandshahar@uppcb.in
उत्तर प्रदेष प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
Uttar Pradesh Pollution Control Board
F-5, यमुनापुरम (MMR मॉल के पीछे), बुलन्दशहर–203001

संदर्भ : 156/ BR-20/25
सेवा में,

दिनांक : 29/05/25

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त–4),
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषयः–**मै0 आर0एस0 ईट उद्योग (पूर्वनाम मै0 चौधरी ब्रिक फील्ड), ग्राम–दुल्हैरा, तहसील–सिकन्दराबाद, जनपद–बुलन्दशहर के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि किये जाने एवं पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0–121/2025 Rakesh Bansal Vs State of Uttar Pradesh में पारित आदेश दिनांक 27.03.2025 एवं ईट भट्ठे को राज्य बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ के संदर्भ सं0–एच28142/सी–4/ईट–1446/का0ब0नो0/2025 दिनांक 13.05.2025 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस के परिप्रेक्ष्य में ईट भट्ठे का निरीक्षण इस कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा दिनांक 29.05.2025 को किया गया। विस्तृत निरीक्षण आख्या मूलरूप में पत्र के साथ संलग्न है।

अतः निरीक्षण आख्या के आधार पर ईट भट्ठे के विरूद्ध जारी कारण बताओ नोटिस दिनांक 13.05.2025 में उल्लेखित निरीक्षण दिनांक 19.02.2025 से ईट भट्ठे के अद्यतन निरीक्षण दिनांक 29.05.2025 तक कुल उंल्लघनकारी दिन 100 के सापेक्ष रू0 6250/– प्रतिदिन के अनुसार रू0 6,25,000/– मात्र की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने व ईट भट्ठे को जारी कारण बताओ नोटिस दिनांक 13.05.2025 की पुष्टि की जाती है। अद्यतन आख्या आपके अवनोकनार्थ संस्तुति सहित अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(उत्सव शर्मा)
क्षेत्रीय अधिकारी

o/c

मै0 आर0एस0 , ईट उद्योग (पूर्वनाम मै0 चौधरी ब्रिक फील्ड), ग्राम–दुल्हैरा, तहसील–सिकन्दराबाद, जनपद–बुलन्दशहर के विरूद्ध राज्य बोर्ड द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस के सम्बन्ध में निरीक्षण आख्या।

कृपया मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0–121/2025 Rakesh Bansal Vs State of Uttar Pradesh में पारित आदेश दिनांक 27.03.2025 एवं ईट भट्ठे को राज्य बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ के संदर्भ सं0–एच28142/सी–4/ईट–1446/का0ब0नो0/2025 दिनांक 13.05.2025 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस के परिप्रेक्ष्य में ईट भट्ठे का निरीक्षण अधोहस्ताक्षरियों द्वारा दिनांक 29.05.2025 को किया गया। विस्तृत निरीक्षण आख्या निम्नवत् हैः–

1. ईट भट्ठा मै0 आर0एस0 ईट उद्योग (पूर्वनाम मै0 चौधरी ब्रिक फील्ड) के नाम से ग्राम–दुल्हैरा, तहसील–सिकन्दराबाद, जनपद–बुलन्दशहर से स्थापित है।
2. ईट भट्ठे में मुख्य कच्चे माल के रूप में मिट्टी व पानी का प्रयोग कर ईट की पथाई के उपरान्त भट्ठे में फुकाई कर लगभग–20,000 ईट प्रतिदिन की दर से उत्पादन कार्य किया जाता है।
3. निरीक्षण के समय प्रश्नगत् स्थल पर श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा द्वारा संचालित मै0 आर0एस0 ब्रिक फील्ड में फुकाई का कार्य संचालित पाया गया।
4. निरीक्षण के समय लिये गये फोटोग्राफ्स निम्नवत् हैः–

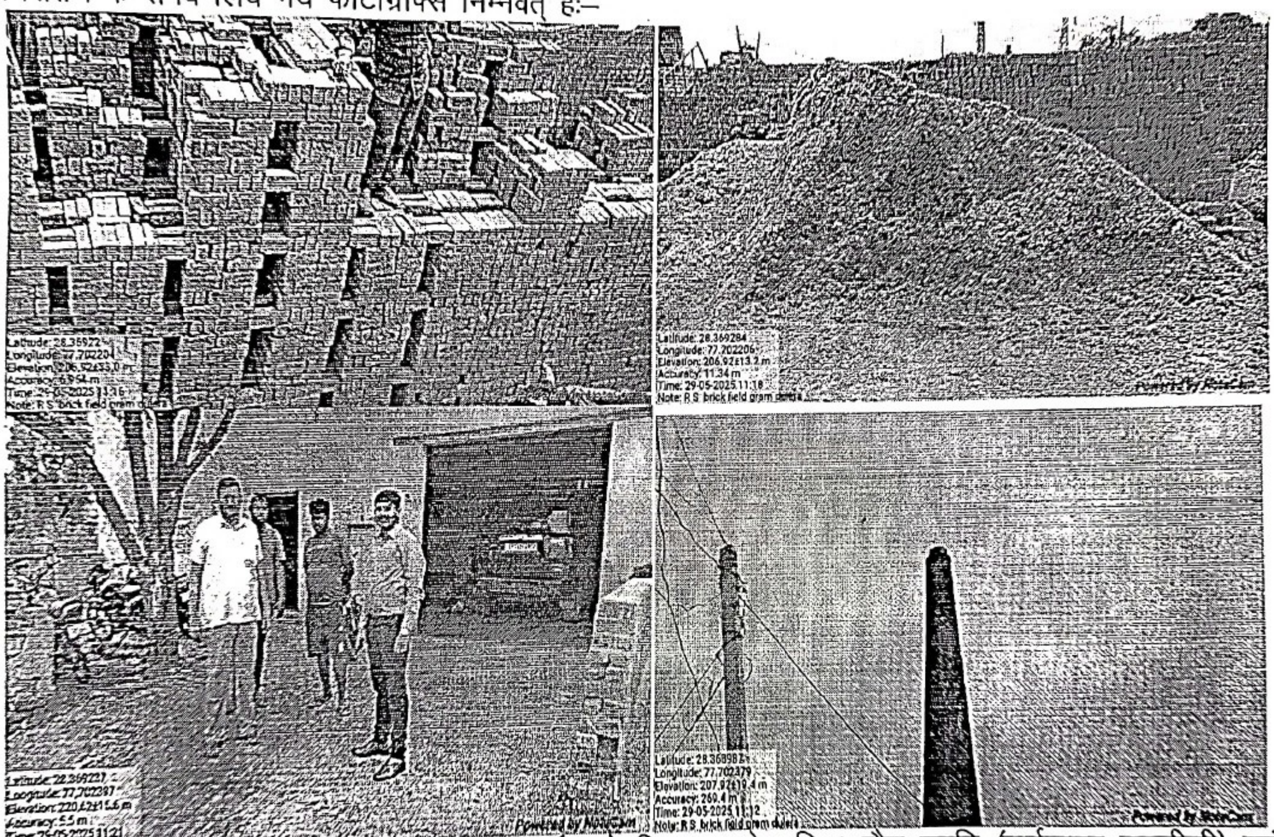

5. ईट भट्ठे में ईंधन के जलने से उत्सर्जित उत्सर्जन के निस्तारण हेतु जिग–जैग पद्वति (हाईड्राफ्ट तकनीकी) एवं भूतल से लगभग–30 मीटर ऊँची चिमनी स्थापित है। ईट भट्ठे में ईंधन के रूप में तूरी का प्रयोग किया जाता पाया गया।
ईट भट्ठे में जल का प्रयोग घरेलू एवं मिट्टी की पथाई में प्रयोग किया जाता है।
6. ईट भट्ठे पर श्रोत के अनुश्रवण हेतु पोर्टहॉल के अतिरिक्त मा0 सर्वोच्च न्यायालय में योजित सिविल अपील संख्या
7. ईट भट्ठे पर श्रोत के अनुश्रवण हेतु पोर्टहॉल के अतिरिक्त मा0 सर्वोच्च न्यायालय में योजित सिविल अपील संख्या
ईट भट्ठे पर श्रोत के अनुश्रवण हेतु पोर्टहॉल एवं ब्रिक किलन एसोसियेशन बनाम केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं अन्य में दिनांक
18213/2021 एनसीआर ब्रिक किलन एसोसियेशन बनाम केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं अन्य में दिनांक 13.05.2022 को पारित किये गये आदेशों के अनुपालन में ईट भट्ठे की चिमनी पर श्रोत के अनुश्रवण हेतु पोर्टहॉल पाया गया तथा प्लेटफार्म एवं सीढ़ी स्थापित नहीं पायी गयी।
ईट भट्ठे को राज्य बोर्ड से संचालनार्थ जल/वायु सहमति प्राप्त किये बिना ईट भट्ठे का संचालन किये जाने एवं
8. मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में जिलाधिकारी, बुलन्दशहर के पत्रांकः1475/ओ0जी0–19/25 दिनांक 10.02.2025 द्वारा एन0सी0आर0 क्षेत्रान्तर्गत नियत अवधि से पूर्व ईट भट्ठे संचालित न किये हेतु जारी आदेशों का उल्लंघन किये जाने के दृष्टिगत बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ के संदर्भ सं0–एच28142/सी–4/ईट–1446/का0ब0नो0/2025 दिनांक 13.05.2025 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत ईट भट्ठे को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, जो कि वर्तमान में प्रभावी है। उक्त कारण बताओ नोटिस को ईट भट्ठे प्रतिनिधि श्री दीपक कुमार शर्मा (मुनीम) को दिनांक 14.05.2025 को प्राप्त कराया गया था, परन्तु ईट भट्ठे द्वारा कारण बताओ नोटिस के परिप्रेक्ष्य में अनुपालन आख्या/प्रतिउत्तर प्रेषित नहीं किया गया है, जिसकी प्रति संलग्न है।

9. कार्यालय अभिलेखानुसार प्रश्नगत् स्थल पर पूर्व में मै0 चौधरी ब्रिक फील्ड, ग्राम–दुल्हैरा, तहसील–सिकन्दराबाद, जनपद–बुलन्दशहर के नाम से राज्य बोर्ड द्वारा पत्रांक: 74073/यू0पी0पी0सी0बी0/बुलन्दशहर(यू.पी.पी.सी.बी.आर.ओ.)/सी.टी.ओ./वाटर/बुलन्दशहर/2019 दिनांक 29.11.2019 के माध्यम से सशर्त सहमति जल एवं पत्रांक: 74072/यू0पी0पी0सी0बी0/बुलन्दशहर(यू.पी.पी.सी.बी.आर.ओ.)/सी.टी.ओ./वायु/बुलन्दशहर/2019 दिनांक 29.11.2019 के माध्यम से सशर्त सहमति वायु दिनांक 31.07.2024 तक निर्गत की गयी थी। वर्तमान में ईट भट्टा संचालक द्वारा ईट भट्टे का नाम परिवर्तित कर बिना राज्य बोर्ड से सहमति जल/वायु प्राप्त किये ईट भट्टे का संचालन कर लिया गया है, जो कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या–309/2022 रामभरोसे बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 एवं अन्य में पारित आदेश 12.02.2024 का भी स्पष्ट उल्लघंन है तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित में प्रख्यापित प्राविधानों का भी स्पष्ट उल्लघंन है।

ईट भट्ठे को जारी कारण बताओ नोटिस में उल्लेखित कि क्यों न ईट भट्ठे के विरूद्ध केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित हेतु जारी गाइडलाइन में वर्णित सूत्र EC=PIxNxRxSxLF के अनुसार रू0 6250/– प्रतिदिन की दर से निरीक्षण दिनांक 25.02.2025 से समस्या का समाधान किये जाने तक की अवधि हेतु पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाये, के कम में ईट भट्ठे के विरूद्ध ईट भट्ठे के प्रथम निरीक्षण दिनांक 19.02.2025 से ईट भट्ठे के अद्यतन दिनांक 29.05.2025 तक राज्य बोर्ड से जल एवं वायु सहमति प्राप्त किये बिना प्रदूषण नियंत्रण अधिनियमों का उंल्लघन करते हुये ईट भट्ठे का संचालन किये जाने के दृष्टिगत कुल 100 उंल्लघन दिवस हेतु पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किया जाना उचित होगा।

उपरोक्तानुसार प्रश्नगत् ईट भट्ठे द्वारा कारण बताओ नोटिस के परिप्रेक्ष्य में प्रतिउत्तर प्रस्तुत न किये जाने एवं ईट भट्ठे का संचालन राज्य बोर्ड से बिना जल एवं वायु सहमति प्राप्त किये जाने के दृष्टिगत ईट भट्ठे को राज्य बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ के सं0–एच28142/सी–4/ईट–1446/का0ब0नो0/2025 दिनांक 13.05.2025 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि की जाती है तथा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्मित गाइडलाइन में वर्णित सूत्र EC=PIxNxRxSxLF के अनुसार EC=50x100x250x0.5x1.0=6,25,000/- मात्र/– की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति सहित आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

(रवि रंजन)
अवर अभियन्ता

29/05/2025
(सतेन्द्र प्रताप सिंह)
अवर अभियन्ता

क्षेत्रीय अधिकारी

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

LiFE Lifestyle for Environment

पत्रांक : H28980/सी–4/सा–।।–1446/बन्दी आदेश–पर्या0 क्ष0/2025, पंजीकृत

दिनांक : 06-6-25

मै0 आर0एस0 ईंट उद्योग (पूर्वनाम–मै0 चौधरी ब्रिक फील्ड),
ग्राम–दुल्हेरा, तहसील–सिकन्दराबाद,
जनपद–बुलन्दशहर।

यह कि बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक–एच28142/सी–4/ईंट–1446/का0ब0नो0/2025, दिनांक 13.05.2025 के माध्यम से मै0 आर0एस0 ईंट उद्योग (पूर्वनाम–मै0 चौधरी ब्रिक फील्ड), ग्राम–दुल्हेरा, तहसील–सिकन्दराबाद, जनपद–बुलन्दशहर के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अंतर्गत बन्दी आदेश की कार्यवाही एवं पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था।

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बुलन्दशहर के अधिकारियों द्वारा ईंट भट्ठे का स्थलीय निरीक्षण दिनांक 29.05.2025 को करते हुए आख्या पत्र दिनांक 29.05.2025 के माध्यम से बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित की गई है। आख्यानुसार निरीक्षण के समय ईंट भट्ठे में फुकाई का कार्य संचालित पाया गया। ईट भट्ठे में ईधन के रूप में तूरी का प्रयोग किया जाता पाया गया। ईंट भट्ठे पर श्रोत के अनुश्रवण हेतु पोर्टहॉल के अतिरिक्त मा0 सर्वोच्च न्यायालय में योजित सिविल अपील संख्या–18213/2021 एनसीआर ब्रिक किलन एसोसियेशन बनाम केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं अन्य में दिनांक 13.05.2022 को पारित किये गये आदेशों के अनुपालन में ईट भट्ठे की चिमनी पर श्रोत के अनुश्रवण हेतु पोर्टहॉल पाया गया तथा प्लेटफार्म एवं सीढ़ी स्थापित नहीं पायी गयी। ईंट भट्ठा राज्य बोर्ड से बिना सहमति (जल एवं वायु) प्राप्त किये संचालित किया जा रहा है, जो वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए का उल्लघंन है।

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बुलन्दशहर द्वारा पत्रांक–156/बीआर–20/25, दिनांक 29.05.2025 के माध्यम से प्रेषित आख्या में मै0 आर0एस0 ईंट उद्योग (पूर्वनाम–मै0 चौधरी ब्रिक फील्ड), ग्राम–दुल्हेरा, तहसील–सिकन्दराबाद, जनपद–बुलन्दशहर के विरूद्ध जारी कारण बताओ नोटिस दिनांक 13.05.2025 की पुष्टि करते हुए पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के साथ–साथ बन्दी आदेश जारी किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये क्षेत्रीय अधिकारी, बुलन्दशहर द्वारा प्रेषित आख्या/संस्तुति दिनांक 29.05.2025 के अनुकम में प्रश्नगत ईट भट्ठा मै0 आर0एस0 ईंट उद्योग (पूर्वनाम–मै0 चौधरी ब्रिक फील्ड), ग्राम–दुल्हेरा, तहसील–सिकन्दराबाद, जनपद–बुलन्दशहर के विरूद्ध केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु जारी गाइडलाइन में वर्णित सूत्र EC=50x1x250x.5x1.0=6,250/- मात्र प्रतिदिन की दर से दिनांक 19.02.2025 से दिनांक 29.05.2025 तक कुल 100 उल्लंघन दिवसों हेतु रू0 6,25,000/– (रूपया छः लाख पच्चीस हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियत्रंण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नलिखित बन्दी आदेश जारी किया जाता हैः–

1. यह कि मै0 आर0एस0 ईट उद्योग (पूर्वनाम–मै0 चौधरी ब्रिक फील्ड), ग्राम–दुल्हेरा, तहसील–सिकन्दराबाद, जनपद–बुलन्दशहर के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दें।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे मै0 आर0एस0 ईंट उद्योग (पूर्वनाम–मै0 चौधरी ब्रिक फील्ड), ग्राम–दुल्हेरा, तहसील–सिकन्दराबाद, जनपद–बुलन्दशहर को मिलने वाली खनन अनुज्ञा तथा लाइसेन्स को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रू0 6,25,000/– (रूपया छः लाख पच्चीस हजार मात्र) की धनराशि का भुगतान Dedicated Account जिसका payment gateway का URL: **https://erp.eshiksa.net/DirectFeesv3/UPPCB** तथा Nature of Pollution-Air pollution एवं EC imposed in compliance-UPPCB पर एक सप्ताह के अन्दर जमा कराना सुनिश्चित करें। जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय, बुलन्दशहर एवं बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ को भी प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

<u>सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।</u>

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–4

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. जिलाधिकारी, बुलन्दशहर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि प्रश्नगत ईट भट्ठे के विरूद्ध जारी बन्दी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु सम्बन्धित अधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. प्रभारी अधिकारी, खनन, जनपद–बुलन्दशहर को इस आशय से प्रेषित कि उक्त ईंट भट्ठे की खनन अनुज्ञा पत्र निरस्त कर दिया जाये।
3. अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, जनपद–बुलन्दशहर को इस आशय से प्रेषित कि ईंट भट्ठे को उनके द्वारा ईट पथाई एवं फुकाई हेतु निर्गत लाइसेंस, अनुमति आदि निरस्त करते हुए भट्ठे को अपने स्तर से भी बन्द करवाने का कष्ट करें।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बुलन्दशहर को इस निर्देश के साथ कि प्रश्नगत ईंट भट्ठे द्वारा संचालित ईंट पथाई एवं फुंकाई कार्य को तत्काल रूकवाये जाने हेतु जिलाधिकारी से समन्वय स्थापित कर उपरोक्त बन्दी आदेश का अनुपालन कराते हुए अनुपालन आख्या 03 दिन के अन्दर मुख्यालय प्रेषित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–4

टी.सी.–12वी., विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ–226010
ई–मेल–info@uppcb.com
वेबसाइट–www.uppcb.up.gov.in

T.C.-12V., Vibhuti Khand,
Gomti Nagar, Lucknow-226010
E-mail: info@uppcb.com
Web Site: www.uppcb.up.gov.in

Annexure-R/6

दूरभाष : 05732—233879
क्षेत्रीय कार्यालय
फैक्स : 05732—233879
ई—मेल : *robulandshahar@uppcb.in*

उत्तर प्रदेष प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
Uttar Pradesh Pollution Control Board
F-5, यमुनापुरम (MMR मॉल के पीछे), बुलन्दशहर—203001

संदर्भ : 226/06-268/25 दिनांक : 19/06/25

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,(वृत्त—4)
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषयः <u>मै0 आर0एस0 ईट उद्योग (पूर्वनाम मै0 चौधरी ब्रिक फील्ड), ग्राम दुल्हैरा, तहसील सिकन्दराबाद, जनपद बुलन्दशहर के वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा—31ए के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश के अनुपालन में ईट भट्ठे की सीलिंग सम्बन्धी आख्या प्रेषण के सम्बन्ध में।</u>

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक संदर्भ सं0—28980/सी—4/सा—II—1446/बन्दी आदेश—पर्या0 क्ष0/2025 दिनांक 06.06.2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्र के माध्यम से मै0 आर0एस0 ईट उद्योग (पूर्वनाम मै0 चौधरी ब्रिक फील्ड), ग्राम दुल्हैरा, तहसील सिकन्दराबाद, जनपद बुलन्दशहर के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियत्रंण) अधिनियम, 1981 की धारा 31ए के अन्तर्गत बंदी आदेश जारी किया गया है। उक्त बन्दी आदेश के अनुपालनार्थ जिलाधिकारी महोदया, बुलन्दशहर द्वारा आदेश पत्रांक—204/ओजी—268/बन्दी आदेश/2025 दिनांक 13.06.2025 के माध्यम से गठित समिति द्वारा संयुक्त रूप से आज दिनांक 19.06.2025 को प्रश्नगत ईट भट्ठे के संचालन को अग्निशमन विभाग के दमकल वाहन द्वारा पानी डलवाकर बन्द कराया गया एवं इन्ड्यूज्ड ड्राफ्ट फैन को ताला लगाकर सील किया गया तथा ईट भट्ठे की सीलिंग/बन्दी सुनिश्चता बनाये रखने हेतु ताले की चाबी थाना प्रभारी, सिकन्दराबाद को सुपुर्द की गई। साथ ही संयुक्त समिति द्वारा मौके पर बन्दी आदेश की प्रति भी ईट भट्ठा प्रतिनिधि को प्राप्त करायी गयी।

अतः ईट भट्टे की बन्दी सम्बन्धी अनुपालन आख्या पत्र के साथ संलग्न कर आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

<u>संलग्नक—उपरोक्तानुसार।</u>

भवदीय

(उत्सव शर्मा)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपिः जिलाधिकारी महोदया, बुलन्दशहर को सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

मै0 आर0एस0 ईट उद्योग (पूर्वनाम मै0 चौधरी ब्रिक फील्ड), ग्राम दुल्हैरा, तहसील सिकन्दराबाद, जनपद बुलन्दशहर को राज्य बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ द्वारा जारी बन्दी आदेश के अनुपालन में ईट भट्ठे की सीलिंग सम्बन्धी आख्या।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त–4), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ द्वारा ईट भट्ठे को जारी बन्दी आदेश संदर्भ सं0–28980/सी–4/सा–II–1446/बन्दी आदेश–पर्या0 क्ष0/2025 दिनांक 06.06.2025 के अनुपालनार्थ जिलाधिकारी महोदया के आदेश पत्रांक–204/ओजी–268/बन्दी आदेश/2025 दिनांक 13.06.2025 के अनुपालन में मै0 आर0एस0 ईट उद्योग (पूर्वनाम मै0 चौधरी ब्रिक फील्ड), ग्राम दुल्हैरा, तहसील सिकन्दराबाद, जनपद बुलन्दशहर के संचालन को रोके जाने हेतु गठित समिति द्वारा आज दिनांक 19/06/25 को अग्निशमन विभाग के दमकल वाहन द्वारा पानी डलवाकर बन्द कराया गया एवं इन्ड्यूज्ड ड्राफ्ट फैन को ताला लगाकर सील किया गया। ईट भट्ठे की बन्दी सुनिश्चता बनाये रखने हेतु सीलिंग ताले की चाबी थाना, सिकन्दराबाद के उपस्थित अधिकारी को सुपुर्द की गई। ईट भट्ठे पर ईट भट्ठा प्रतिनिधि के रूप में श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा फोन नं0–9149053994 उपस्थित थे।

Vipul Kr (S.I) 19/06/25

19/6/2025

K A 19/6/2025

19/06/25 PMO

19/06/25 SDM(SKD)

ईट भट्ठा प्रतिनिधि

19/6/25

Annexure-R/7

application No : 32867639

FORM 1
CONSOLIDATED CONSENT & AUTHORIZATION

Application for consent for discharge/continuation of discharge under section 25/26 of the Water (Prevention and Control of Pollution)Act ,1974 and for emissions/continuation of emission under section 21 of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 and for grant/renewal of authorisation for generation or collection or storage or transport or reception or recycling or reuse or recovery or pre-processing or co-processing or utilisation or treatment or disposal of hazardous and other waste under Hazardous and other waste (Management and Transboundary Movement) Rules 2016 read with Environment (Protection) Act 1986.

From , Dated 17/07/2025

RPS BRICK FIELD, GATA NO-520, 516, VILL DULEHRA, TEHSIL SIKANDRABAD DISTT ,BULAND SHAHAR,
City:
Block:Sikandrabad
District:BULAND SHAHAR

To ,
The Member Secretary,
U. P. Pollution Control Board,
Lucknow.

Sir,

I/We apply for Consolidated Consent to Operate and Authorization under section 25/26 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974, under Section 21 of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 and Hazardous and other Waste (Management and Transboundary Movement) Rules 2016 noted under Environment (Protection) Act 1986 to make discharge/emission/disposal of hazardous and other waste from

RAJENDRA PRASAD SHARMA for a period upto 6 years

2. The annexure, appendices other particulars and plans in triplicate are attached herewith.
3. I/We further declare that the information furnished in the Annexure, appendices and plans is correct to the best of my/our knowledge.
4. I/We hereby submit that in case of change either of the point or the quantity of discharge or its quality, a fresh application for CONSENT shall be made and until such CONSENT is granted no change shall be made
5. I /We hereby agree to submit to the Board and application for renewal of consent one month in advance of the date of expiry of the consent period
6. I/We undertake to furnish other information within one month of its being called by the Board.

Accompaniments:-

1. Balance sheet Or CA Certificate (Attached)

Yours faithfully,

Signature

Name of the applicant: RAJENDRA PRASAD SHARMA

Address of the Applicant: BULANDSHAHAR

ANNEXURE TO FORM

New Outlet

NOTE- Any applicant knowingly giving incorrect information or suppressing any information pertaining thereto shall be liable to be punished under the Act.

While filling this Annexure the applicant not concerned with any of the item shall state 'No concerned' against the relevant one:

7.	Is the industry/factory for which application is made closed on Sunday/Holiday	Yes
8.	State working days per year and working season for the industry/factory	Mar to Jun
9.	a) Number of workers attending the factory shift wise &/ or per day :	20
	b) Number of workers residing in the premises :	20
10.	For local bodies only:- a) Present population : b) Population covered under regular sewer facilities : c) population having septic tank/Soak pit facilities : d) Population covered by conservancy latrines :	
11.	For Industries Only:-	

A. Give the list of raw materials

Raw Material Name	Material Trade Name	Qty	Principle Use
soil & water etc		Metric Tonnes/Day	

Fuel Details:-

Fuel	Consumption

B. Give the list Products and By Product Details

Product Name	Quantity (Metric Tonnes/month)
BRICKS PER DAY	20000

ByProduct Name	Licence Qty	Installed Qty
NA	0	0

C. Give the list of possible Inter-mediate Products:

Name of Product	Quantity (Metric Tonnes/month)

Section A

12. State daily quantity of water utilized :

Source Consumption	Quantity (KL/D)
Domestic	2.0
Industrial	2.0

13. A) State the hourly maximum and daily quantity of effluents arising from land/premises for which the application is made:

Generation	Waste Water Generation Quantity (KL/D)
Domestic	0.5
Industrial	0.0

(B) State how measurement of rate and quantity are carried out:

14. State whether storm water drains are kept separate from Industrial / Domestic Effluents? Yes

15. (a)Is domestic effluent allowed to get mixed in industrial effluents? Yes

(b)If yes, state ratio Domestic

16. (a)Describe if any treatment industrial or domestic effluent or one for combined effluent is made. Yes

If yes, state the process of treatment in brief

(b)Is the quantity of effluent emanating either without or after treatment approved by the authority? Yes

(c)If approved, furnish the authority (Two certified copies to be sent)

(d)If any effluent from any shop/ shops toxic? If so volume of this effluent

17. Is there any provision for disposal ?

Name	Status (Already made)	Status (proposed to)

18. State the area of land used for
(a)Above in Hectares

19. Give the quantitative disposal of effluent in liters provided for the places mentioned below

Name	Mode	Mixed

20. Is there any provision for equalizing or made holding lagoons of tanks

Name	Mode
Domestic	0.5
Industrial	0.0

21. Is sufficient land available / can be made available? In case pumping effluent: on lands have to considered. Yes

22. (a)Give details of composition of Domestic / Industrial / Combined effluent in respect of the Following

Name of Effluent	Effluent before treatment	Effluent after treatment

Note:-

1) Furnish a copy of the analysis report of representative samples carried out by a competent laboratory

2) Methods of determination as approved by the Board will be followed for determination of above mentioned parameters.

(b)Is the effluent toxic — Yes

(c)State if the Industrial effluent is having — Unpleasant Smell

(d)Is there any hidden change of temperature exceeding 10*c at any time — Yes

23. (a)Are facilities available with the applicant for carrying out the following test of the waste waters

Name	Existing	Proposed

(b)If yes, give details of equipments

24. Has the land/premises, etc., for which the application is made open? — Yes

Highly polluting material :

Toxic Organic Inorganic Microbilogical : — Cooling Tank

25. State details for solid waste

Type of Solid Waste	Composition	Quantity	Method of Collection	Method of Disposal

Section A

New

12. Fuel Consumption in Tonnes/day

Fuel Name	Daily Comsumption(T/day)	Unit	Calorific value	Ash contents	Sulphur contents	Others
AGROWASTE	03	Metric Tonnes/Day				

13. Atmospheric Emission from each stack

Total no. of stacks:	1
Material for construction of Stack:	SAND & BRICK ETC ,
Stack Attached to:	Others ,
Height above ground level(in metres):	30 ,
Height above roof(in metres):	27 ,
Stack Top:	Round ,
Inner dimensions (in meters):	0.0 ,
Gas quantity-m^3/hr:	0.0 ,
Flue gas temperature 'C:	0.0 ,
Exit velocity of gas/sec:	0.0 ,

(a) Flue gas emission

Stack No.	**Type of fuel**	**Quantity of fuel/hr**	**Type of firing**	**So2**	**Nox**	**CO/HC**	**Particulates**	**Others**
1	AGRO WASTE	03						

(b) Process Emission

Quantity of gas (in Nm^3/hr)	**So2**	**Co2**	**Analysis of vent hydrocarbons**	**Particulates in mg/Nm3**	**Other Specify**

(c) Particulate analysis :

(d) Chemical Composition(if available) :

14. Give details of flue gas sampling arrangements :

15. Give details of laboratory facilities available for analysis of emission :

16. Is there sufficient space available for installing air pollution control equipment :

17. Details of Air Pollution :-

Stack Name	**Equipment Name**	**State**

18. State the total quantity of air handled by ventilation equipments,specify size and no.of equipments, installed or to be installed

Equipment Name	**Equipment Size**	**No. of equipments**	**Status**

19. Give the following details

(a) Total investment in the factory and the year of investment. : Investment:-
Year of Investment is :-1925

(b) The estimated expenditure for implementation of the scheme to control air pollution :

	(c) Expenditure incurred to update progress achieved(physical) for air pollution control, if any, and the year/years of investment along with physical progress achieved. The firm should give details of action taken to date and the expenditure incurred and the time required for the scheme.	:
	(d) Annual operation and maintenance-cost of Air Pollution Control Plant, if any	:
	(e) Further action that is being taken up by the firm to control air pollution.	:
20.	Other relevent information, if any	:

Signature

Name and Address of the applicant on behalf of : RAJENDRA PRASAD SHARMA,BULANDSHAHAR

Name and Address of the Firm on behalf of which application is made : RAJENDRA PRASAD SHARMA,BULANDSHAHAR

Explanatory Notes for filing in form and the Annexure .

The notes are given only for those items for which explanations is considered desirable .

Form-

1. Here mention the name of the owner of the land/premises, if other than the applicant industry or factory in continuation of legal business as per Air (Prevention and Control of Pollution) Act,1981. lf the land/premises belongs to the factory/ industry, say self
2. Here mention the date up to which the consent is sought for.

Annexure to form-

'Existing 'means that which is operation at the time of applying for consent .

'New' that which has been modified due to change in quantity and/or qua|ity of emission.

'Altered' means that which has been modified due to change in quantity and/or quality of discharge arrangement and/or point of discharge etc.

Item 1 : Here mention name of the owner of the land/premises if other than the applicant industry or factory in continuation of of legal busines as per Air (Prevention and Control of Polution) Act ,1981 if land/premises belong to the factory/industry say self .

Item 1(a) : The industrtes are categorised based on the investment as follows : Major industry- having investment of more than 2 crores. Medium industry- having investment of 10 lakhs to 2 crores.Small scale industry having investment of less than 10 lakhs rupees

In place of above criteria kindly give category as per latest notification

Item 2 : Here give the registered name of the industry/institution factory/local bodies etc under which the business is carried out.

Item 6 : Applicable to only those are as which are prohibited areas such astheOrdinance Factories, Mint, etc.

Item 10(c) : Here State the temperature in C in summer winter monsoon and post monsoon seas on.

Item 10(d) : Here state the seasonal average wind direction and speed in and around the site of the plant. The above information can be had from representative Meterological centre .

Item 13 : Analysis of the flue gas emission, process emission and particulars analysis should be done for each stack, emissions. Where ever stacks are not provided the shop floor specific concentration should be reported . Chemical Analysis of particulars matter in the emission should be furnished giving details such as organic matter ,metals ,non-metals , redioactive, substances, asbastos, silicates etc.

Item 17 : Here mention the detailed specifications of control system used or proposed to be used with efflciency . Also furnish ihe layout of the control system with dimensions.
Item 18 : Here state the total quantity of ventilation air handled by equipments' such as roof extractors, Evaporative coolers etc

Additional Documents suggested for submission:

1 : Separate Demand Draft towards consent fee Water & Air .
2 : Annual Report or certificate frorn Chartered Accountants in support of fixed assets,current assets and current liabilities .
3 : Layout plan showing the location of stacks (chimneys), effluent treatment plant, effluent disposal areas, air pollution control devices, hazardous waste treatment and disposal areast .
4 : Manufacturing process flow sheet, with description note on the manufacturing process for each product .
5 : Copies of latest consenVauthorisation/Environmental Impact Assessment Clearance .
6 : Copies of SSI registration Letter of IntenV industrial licenses, clearances from the Department or any other relevant document (ifapplicable) .
7 : Copies of planning permission certificate issued by the local bodies/District Town & Country Planning/Metropolitan Development Authorities .
8 : Compliance report on the latest CTE /CTO conditions stipulated under Water & Air Acts issued to the Unit .

Common General Information required for consent to operate under Water Pollution (Prevention & Control) Act, 1974 and Air Water Pollution (Prevention & Control)Act, 1981.

1.	(a) Full name of the applicant with address	:	RAJENDRA PRASAD SHARMA,BULANDSHAHAR (Tel. No.) -
	(b) Is the firm registered?	:	YES
	(c) If yes, give the number & date of registration and authority with whom registered.	:	,
	(d) Full Address of the registered office	:	
	(e) Names, designation and full address of persons like Partners, Managing Director/Manager etc.	:	RAJENDRA PRASAD SHARMA BULANDSHAHAR BULAND SHAHAR 7983281418
	(f) Under which category does the industry fall: Large/Medium/Small Scale.	:	small
2.	Full name of the Land/Premises/Institute/Factory/Industry/Local body with address	:	RPS BRICK FIELD Address:GATA NO-520, 516, VILL DULEHRA, TEHSIL SIKANDRABAD DISTT ,BULAND SHAHAR, Tel. No.:- E-mail :

3.	Give revenue /City Survey No. of the land/premises for which the application is made:	:	District:BULAND SHAHAR Town/Village: City Survey no./Revenue Survey no.: Khata No.: Area in Hectares:
4.	State month and year in which the plant was actually put into commissions or is proposed to be put into commission:	:	January,2010
5.	State the Civil/Military /Defence/industrial Estate etc. under whose administrative jurisdiction the occupiers/industrial plant is situated:	:	Civil District:BULAND SHAHAR Corporation: Village Panchayat Contonment: Defence Deptt: State Govt: Prohibited areas: Others:
6.	(a) State whether plant site has been declared as prohibited area:	:	NO
	(b) If yes, state the name of the Authority and furnish a certified copy of the order under which the area has been declared as prohibited area	:	-